

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619] No. 619] नई दिल्ली, बृथवार, जुलाई 12, 2017/आषाढ़ 21, 1939 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2017/ASADHA 21, 1939

विदेश मंत्रालय

(प्रवासी भारतीय कार्य प्रभाग-I)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 864(अ).—जबिक भारत सरकार द्वारा रोजगार के प्रयोजनार्थ विदेश जाने वाले भारतीय उत्प्रवासियों के लिए एक बीमा योजना अर्थात प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2003 और इसमें संशोधन के उपरांत प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2006 तथा प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2008 को क्रमश: 13 नवम्बर, 2003, 25 जनवरी, 2006 और 1 अप्रैल, 2008 में लागू किया गया।

जबिक भारत सरकार योजना में संशोधन आवश्यक समझती है ताकि उत्प्रवासी कामगारों की कवरेज को सशक्त बनाया जा सके।

अत: अब भारत सरकार निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ :

- i. यह स्कीम प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2017 कही जाएगी।
- ii. यह 1 अगस्त, 2017 से लागू होगी।

2. प्रायोज्यता :

यह योजना भारत के उन सभी नागरिकों जो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) के अंतर्गत यथा
 अपेक्षित उत्प्रवास स्वीकृति के लिए आवेदन करते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं, एवं पासपोर्ट श्रेणी के

4288 GI/2017 (1)

- निरपेक्ष उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के खण्ड 2 (ओ) के अंतर्गत शामिल कार्य श्रेणियों के अधीन आने वाले विभिन्न व्यवसायों हेत् प्रवासी रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवासियों के लिए अनिवार्य होगी।
- ii. इस योजना के अंतर्गत लाभ उस देश में युद्ध अथवा आंतरिक संघर्ष की स्थिति में लागू नहीं होंगे जिसके लिए भारत के उक्त पॉलिसी धारक नागरिक कार्य के लिए गये हों या जहां के लिए यात्रा न करने हेतु सरकारी यात्रा परामर्शी जारी की गई हों।

3. परिभाषा :

इस स्कीम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों,

- ''उत्प्रवासी'' का तात्पर्य भारत के ऐसे नागरिक से है जो उत्प्रवास करना चाहता है अथवा उत्प्रवास करता है अथवा जिसने उत्प्रवास कर लिया है लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :
- (क) उत्प्रवासी का आश्रित, चाहे ऐसा आश्रित उसके साथ गया हो अथवा उस देश में उत्प्रवासी के साथ रहने के प्रयोजन हेत् बाद में जाता है जिसमें उस उत्प्रवासी ने कानूनी रूप में उत्प्रवास किया है;
- (ख) कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु होने के पश्चात किसी भी समय भारत से बाहर तीन वर्ष तक रहा है अथवा ऐसे व्यक्ति की पत्नी अथवा बच्चा हो;
- ''उत्प्रवास संरक्षी से तात्पर्य उत्प्रवास अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त उत्प्रवास संरक्षी से है और इसमें धारा 5 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति शामिल है।
- ''बीमा कंपनी'' से तात्पर्य बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत बनाई गई और पंजीकृत की गई कपंनी के किसी बीमा कर्ता से है।
- "भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)" से तात्पर्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अनुसार बनाए गए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से है।

4. उत्प्रवास स्वीकृति के लिए आवेदन करने वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा बीमा पॉलिसी लेने के लिए अपेक्षाएं :-

- यह उन सभी उत्प्रवासियों जिन्हें प्रवासी रोजगार हेतु उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है, के
 लिए भारत में कार्यरत और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) में
 विधिवत पंजीकृत किसी बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी लेने के लिए अनिवार्य होगा।
- ii. उत्प्रवास स्वीकृति के लिए संबंधित उत्प्रवास संरक्षी (पीओई) को आवेदन करने वाला भारत का प्रत्येक नागरिक निम्नलिखित को शामिल करते हुए बीमा पॉलिसी प्राप्त करेगा :
 - क) बीमा पॉलिसी न्यूनतम दो/तीन वर्ष की अविध के लिए वैध होगी और इसके बाद रोजगार संविदा की अविध के दौरान नवीकरणीय होगी।
 - ख) बीमाकृत व्यक्ति को विदेश में रोजगार के समय आकस्मिक मृत्यु अथवा रोजगार खोने लायक स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रू. की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। बीमा अवधि के दौरान नियोक्ता में बदलाव या बीमाकृत व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन होने की स्थिति में भी यह बीमा वैध रहेगा। बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति के भारत या अन्य तीसरे देश में दौरे के दौरान भी बीमा वैध रहेगा।
 - ग) विदेश स्थित भारतीय मिशनों और पोस्ट द्वारा आकस्मिक मृत्यु या रोजगार खोने लायक स्थायी विकलांगता के प्रमाण पत्र को बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। तीसरे देश में होने के समय उस देश के भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा दिये गये आकस्मिक मृत्यु/रोजगार खोने लायक स्थायी विकलांगता के प्रमाण पत्र और भारत में संबंधित उत्प्रवास संरक्षियों द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र स्वीकार्य होंगे।

- घ) आकस्मिक मृत्यु के मामले में, पार्थिव शरीर को ले जाने की लागत के अलावा बीमाकृत व्यक्ति के भारत में निवास के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक परिचारक के इकॉनोमी श्रेणी के वापसी हवाई भाड़े पर वहन की गई लागत की प्रतिपूर्ति भी बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। बीमाकृत व्यक्ति स्थायी विकलांगता के मामले में बीमाकृत व्यक्ति के निवास के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक परिचारक के इकॉनोमी श्रेणी के वापसी हवाई भाड़ा की प्रतिपूर्ति भी बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। प्रतिपूर्ति के दावे को यात्रा पूर्ण होने के 90 दिनों के भीतर बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- ङ) विदेश में रोजगार के समय किसी दुर्घटना/शारीरिक चोट के कारण ऐसी दुर्घटना की तिथि से 12 महीनों के भीतर होने वाली आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में बीमा कंपनी बीमाकृत राशि का भुगतान करेगी, बशर्ते कि ऐसा बीमा पॉलिसी की अविध के दौरान होता है और ऐसी मृत्यु या स्थायी विकलांगता का कारण कथित दुर्घटना हो। ऐसे मामलों में दुर्घटना/शारीरिक चोट के बारे में सूचना, उस दुर्घटना/शारीरिक चोट की तिथि से 30 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को भेजनी होगी। इसके अलावा आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता की तिथि से 90 दिनों के भीतर दावे प्रस्तुत करने होंगे। 90 दिनों के भीतर दावे संबंधी दस्तावेजों को जमा न किए जाने के मामले में भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख है कि परिस्थितियां बीमाकृत व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर थीं, बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा। भारत में आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता होने के मामले में उत्प्रवास संरक्षी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।
- च) बीमा कंपनी बीमाकृत व्यक्ति की बीमा अवधि के दौरान आपातकाल में दुर्घटना से लगी चोटों और/ या बीमारी/ रूगणता/ रोगों के आधार पर भारत में / तीसरे देश में अथवा उस देश में जहां वह कार्यरत है, में अस्पताल में भर्ती के मामले में 1 लाख रू. केवल (अस्पताल में भर्ती होने के प्रति मामले में 50,000 रू.) का चिकित्सा बीमा कवर प्रदान करेगी।
- छ) बीमा कंपनी उपरोक्त 4 (च) की घटना में होने वाले वास्तविक चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति करेगी, और यदि ऐसा चिकित्सा उपचार भारत में किया जाता है तो नगदीरहित अस्पताल में भर्ती होना का प्रावधान भी करेगी।
- ज) यदि बीमाकृत व्यक्ति बीमार पड़ जाता है अथवा कार्य शुरू करने या कार्य जारी रखने या कार्य ग्रहण करने के लिए स्वास्थ की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है और विदेशी नियोक्ता द्वारा बीमा कवर लेने के आरंभिक 12 महीनों के भीतर सेवा करार समाप्त कर दिया जाता है तो बीमा कंपनी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति के निवास के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक के इकोनॉमी श्रेणी के एक तरफ के हवाई भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि प्रत्यावर्तन के आधार संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा प्रमाणित किए जाएं और हवाई जहाज के टिकट मूल रूप में प्रस्तुत किए जाएं।
- झ) विदेश में अपने कार्य स्थल अथवा गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर नियोक्ता द्वारा उत्प्रवासी को लेने न आने अथवा बीमाकृत व्यक्ति के प्रतिकूल में कार्य/रोजगार संविदा/ करार में कोई मौलिक परिवर्तन किए जाने अथवा उत्प्रवासी की बिना किसी गलती के रोजगार की अविध के भीतर रोजगार को समाप्त कर दिये जाने की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति के निवास के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक की इकोनॉमी श्रेणी के एक तरफ के हवाई भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि प्रत्यावर्तन के

- आधार संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा प्रमाणित किए जाएं और हवाई जहाज के टिकट मूल रूप में प्रस्तुत किए जाएं।
- ञ) ऐसे मामलों में जहां प्रत्यावर्तन का प्रबंध भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा किया जाता है, बीमा कंपनी वास्तविक व्यय की राशि का भुगतान संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट को करेगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा में महिला उत्प्रवासियों को प्रसूती लाभ भी प्रदान किया जाएगा जो प्रति पॉलिसी अविध के दौरान सामान्य प्रसव के मामले में पैंतीस हजार रू. का न्यूनतम कवर और सीजेरियन ऑपरेशन के मामले में 50 हजार रू. तक होगा। यदि इलाज उस देश में कराया जाता है जहां वह कार्यरत है तो प्रसूति लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जबिक अपेक्षित दस्तावेज संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा प्रमाणित हों। प्रतिपूर्ति केवल वास्तविक राशि तक ही सीमित होंगी।
- ट) भारत में उत्प्रवासी कामगार का परिवार जिसमें पित/ पत्नी और 21 वर्ष की आयु तक के पहले दो आश्रित बच्चे शामिल हैं, बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के मामले में अस्पताल में भर्ती का पात्र होगा जिसकी राशि पॉलिसी अविध के दौरान प्रति वर्ष अधिकतम 50 हजार रू. होंगी।
- ठ) एक बीमाकृत व्यक्ति को उसके रोजगार से संबंधित किसी मुकदमे में उसके द्वारा किए गए किसी विधिक खर्च के संबंध में पैत्तालीस हजार रू. की राशि हेतु शामिल किया जाएगा बशर्ते कि संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा इस प्रकार के मामले को दर्ज करने की आवश्यकता प्रमाणित किया गया हो।
- ड) बीमा कंपनी रोजगार के प्रमाण प्रस्तुत करने के आधार पर अपनी समाप्ति पर उत्प्रवासियों द्वारा आगे की अवधि के लिए पॉलिसी के ऑनलाइन नवीकरण की सुविधा प्रदान करेगी।
- ढ) बीमा कंपनी बीमाकृत व्यक्ति के नामित व्यक्ति को बीमा पॉलिसी की एक प्रति प्रदान करेगी।
- ण) बीमा कंपनियां उचित एवं तर्कसंगत प्रिमियम का प्रभार वसूलेंगी। सेवा कर जैसा व्यवहार्य होगा उसके अनुसार प्रभारित किया जाएगा।
- 5. प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2017 इसके लागू होने की तारीख से मौजूदा प्रवासी भारतीय बीमा योजना का स्थान लेगी।

[फा. सं. क्यू /ओ आई ए -1/381/1/ 2017]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव (ओआईए-I)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Orverseas Indian Affairs Division-I)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2017

G.S.R. 864(E).—Whereas an insurance scheme for Indian emigrants going abroad for employment, viz., Pravasi Bharatiya Bima Yojana, 2003 and amendment as per Pravasi Bharatiya Bima Yojana, 2006 and Pravasi Bharatiya Bima Yojana, 2008, as carried out by the Government of India on 13th November, 2003, 25th January, 2006 and 1st April, 2008 respectively.

Whereas the Government of India considers it necessary to further amend the scheme with a view to strengthen the coverage to the emigrant workers.

Now, therefore, the Government of India hereby makes the following scheme, namely:-

1. Short title and commencement:

- (i) This Scheme may be called the Pravasi Bharatiya Bima Yojana 2017.
- (ii) It shall come into force from 1st August, 2017.

2. Application:-

- (i) This Scheme shall be mandatory for all citizens of India who apply for and obtain an emigration clearance as required under the Emigration Act, 1983 (31 of 1983) as well as emigrants going for overseas employment for various professions falling under work categories covered under Section 2 (o) of Emigration Act, 1983 irrespective of the passport category.
- (ii) The benefits under this Scheme shall not apply in the event of war or internal conflict in the country to which the citizen of India holding the said policy has gone for work or where Government travel advisory not to travel is in place.

3. Definition:-

In this Scheme, unless the context otherwise requires,

"Emigrant" means any citizen of India who intends to emigrate, or emigrates or has emigrated but does not include:

- (a) a dependent of an emigrant, whether such dependent accompanies that emigrant, or departs subsequently for the purpose of joining that emigrant in the country to which that emigrant has lawfully emigrated;
- (b) any person who has resided outside India at any time after attaining the age of eighteen years, for not less than three years or the spouse or child of such person;

"Protector of Emigrants" means a Protector of Emigrants appointed under section 3 and includes a person authorized under section 5 of the Emigration Act,1983.

"Insurance Company" means an insurer being a company formed and registered under the Insurance Act,1938.

"Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) formed as per Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

4. Requirement of taking insurance policy by certain persons applying for emigration clearance:

- (i) It shall be mandatory for all emigrants who need Emigration Clearance for overseas employment, to subscribe to an insurance policy from any Insurance Company operating in India and duly registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).
- (ii) Each citizen of India applying for emigration clearance from the concerned Protector of Emigrants (POE) shall obtain an Insurance policy covering the following:
- a) The Insurance policy shall be valid for a minimum period of two/three years and renewable thereafter during the period of employment contract.
- b) The Insured person shall be covered for a sum of ten lakh rupees in the event of accidental death or permanent disability leading to loss of employment while in employment abroad. The insurance shall remain valid

irrespective of change of employer or the insured's location during the policy period. The insurance shall also remain valid during visit of insured to India or any third country during the currency of insurance policy.

- c) Certification of accidental death or permanent disability leading to loss in the employment by Indian Missions and Posts abroad shall be accepted by the insurance companies. While in third country, certification of accidental death/ permanent disability leading to loss in the employment by Indian Mission/Post in that country and in India, certification by concerned Protector of Emigrants shall be acceptable.
- d) In case of accidental death, besides the cost of transporting the dead body, the cost incurred on economy class return airfare of one attendant upto the International airport in India nearest to the address of the insured shall also be reimbursed by the Insurance Company. In case of permanent disability of the insured, the economy class return airfare of one attendant upto the International airport nearest to the address of the insured shall also be reimbursed by the Insurance Company. The claim for reimbursement shall be filed with the Insurance Company within 90 days of completion of journey.
- e) The insurance company shall pay the sum insured in case of accidental death or permanent disability due to any accident/physical injury sustained while in employment abroad occurring within twelve months from the date of such accident provided it occurs during the currency of insurance policy and such death or permanent disability shall be attributed to the said accident. In such cases, intimation about the accident/physical injury will be sent to the Insurance Company within 30 days from the date of such accident/physical injury. Further, claim has to be filed within 90 days from the date of accidental death/ permanent disability. In case of non-submission of claim documents within 90 days, certificate from the Indian Mission/Post stating that the circumstances were beyond the control of the insured, will be accepted by the Insurance Company. In case of accidental death/permanent disability in India, certificate from Protector of Emigrants will be accepted.
- f) The Insurance company shall provide medical insurance cover of Rupees one lakh only (up to Rupees Fifty thousand per hospitalization) in case of hospitalization of the insured in an emergency on grounds of accidental injuries and/or sickness/ailments/diseases occurring during the period of Insurance whether in India/third country or in the country of his employment.
- g) The Insurance company shall reimburse the actual medical expenses in the event of 4 (f) above, and in case such medical treatment is taken in India, shall also provide cashless hospitalization.
- h) If the insured person falls sick or is declared medically unfit to commence or continue or resume work and the service contract is terminated by the foreign employer within first twelve months of taking the insurance cover, the actual one way Economy Class airfare up to the International airport nearest to the address of the insured shall be reimbursed by the Insurance company provided the grounds for repatriation are certified by the concerned Indian Mission/Post and Air-tickets are submitted in original.
- i) On arrival at his work place or destination abroad, if the emigrant worker is not received by the employer or if there is any substantive change in the job/Employment Contract/Agreement to the disadvantage of the insured person, or if the employment is prematurely terminated within the period of employment for no fault of the emigrant, one-way Economy Class airfare shall also be reimbursed by the Insurance company upto the international airport nearest to the address of the insured provided the grounds for repatriation are certified by the concerned Indian Mission/Post and the Air-tickets are submitted in original.
- j) In cases where the repatriation is arranged by the Indian Mission/ Post, the Insurance Company shall reimburse the actual expenses to the concerned Indian Mission/Post.

- k) The Insurance under this policy shall also provide maternity benefits to women emigrants, subject to a minimum cover of Thirty five thousand rupees in case of normal delivery and upto Rupees fifty thousand in case of caesarean operation per policy period . In case of medical treatment in the country of employment, the maternity benefits would be provided only if the requisite documents are certified by the concerned Indian Mission/Post. The reimbursement shall be restricted to actuals.
- l) The family of the emigrant worker in India consisting of spouse and first two dependent children upto twenty one years of age shall be entitled to hospitalization cover in the event of death or permanent disability of the insured person for maximum fifty thousand rupees per annum during the policy period.
- m) An insured person shall be covered for a sum of Rupees Forty five thousand in connection with the legal expenses incurred by him in any litigation relating to his/her employment, provided the necessity of filing such case is certified by the concerned Indian Mission/Post.
- n) The Insurance Company shall provide facility of online renewal of the policy for a further period by the emigrants on its expiry subject to production of proof of employment.
 - o) The Insurance Company shall provide a copy of insurance policy to the nominee of the insured person.
- p) The Insurance companies shall charge fair and reasonable premium. Service tax will be charged as applicable.
- 5. The Pravasi Bharatiya Bima Yojana, 2017 will replace the existing Pravasi Bharatiya Bima Yojana with effect from the date of its coming into force.

[F. No. Q/OIA-I/381/1/2017]

MANISH GUPTA, Jt. Secy. (OIA -I)